



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-31122025-268967  
CG-GJ-E-31122025-268967

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 835]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 29, 2025/पौष 8, 1947

No. 835]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 29, 2025/PAUSHA 8, 1947

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 24 दिसम्बर, 2025

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वैश्विक आंतरिक केंद्र) विनियम, 2025

फा. सं. आईएफएससीए/जीएन/2025/012.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 [2019 का 50] की धारा 12 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

## अध्याय-I

### प्रारंभिक

#### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वैश्विक आंतरिक केंद्र) विनियम, 2025 कहा जाएगा।
2. ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

#### 2. उद्देश्य

इन विनियमों का उद्देश्य एक नियामक ढांचा प्रदान करना है-

- (1) वैश्विक आंतरिक केंद्रों (जीआईसी) को वित्तीय सेवा के रूप में संचालित करना ताकि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) को उच्च-मूल्य वाली वित्तीय और संबंधित सेवाओं की प्रदायगी के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके, रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें, और वित्तीय सेवाओं की वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के एकीकरण को सुदृढ़ किया जा सके;
- (2) विश्व स्तरीय व्यापार और नियामक वातावरण प्रदान करके उन भारत-केंद्रित वित्तीय सेवाओं और लेनदेन को वापस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में लाना जो वर्तमान में अपतटीय वित्तीय केंद्रों में किए जाते हैं।

#### 3. परिभाषाएँ

- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यहाँ परिभाषित शब्दों का वही अर्थ होगा जो उन्हें नीचे दिया गया है, और उनके संबंधित भावों और विविधताओं की व्याख्या तदनुसार की जाएगी: -

(क) “अधिनियम” का तात्पर्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) से है;

(ख) “प्राधिकरण” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से है;

(ग) “वैश्विक आंतरिक केंद्र (जीआईसी)” का तात्पर्य जीआईसी इकाई द्वारा वित्तीय संस्थान समूह को वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं से संबंधित सेवाएँ प्रदान करने से है;

(घ) “वैश्विक आंतरिक केंद्र इकाई (जीआईसी इकाई)” का तात्पर्य वित्तीय संस्थान समूह की किसी एंटीटी द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से या किसी तीसरे पक्ष सेवा प्रदाता के माध्यम

से, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित इकाई से है, और जो वैश्विक आंतरिक केंद्र के कार्यक्रमों को करने के लिए इन विनियमों के अधीन किसी भी संचालन मॉडल, जैसे वैश्विक क्षमता केंद्र, निर्माण-संचालन-अंतरण, संयुक्त उद्यम, हाइब्रिड या प्राधिकरण द्वारा यथा-अनुमत्त किसी अन्य मॉडल के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;

(ड) "वित्तीय संस्थान समूह" का तात्पर्य किसी समूह की एंटीटी(एंटीटियों) से है जो वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने या वित्तीय कार्यक्रम करने में कार्यरत हैं, जिनमें बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, वित्तीय मध्यस्थ, निवेश बैंक, बीमा कंपनियाँ, पुनर्बीमा कंपनियाँ, बीमांकिक, ब्रोकरेज फर्म, निधि, स्टॉक एक्सचेंज, समाशोधन निगम, निक्षेपागार, संरक्षक और कोई अन्य समान वित्तीय संस्थान शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

इस विनियम के प्रयोजन से, वित्तीय संस्थान समूह की समूह एंटीटियों में ऐसी व्यवस्था शामिल होगी जिनमें दो या ज़्यादा एंटीटियाँ नीचे दिए गए किसी भी संबंध से एक-दूसरे से जुड़ी हों:

- i. मूल-अनुषंगी (आईएनडी-एएस 110/एएस 21 के अनुसार);
- ii. संयुक्त उद्यम (आईएनडी-एएस 28/ एएस 27 के अनुसार);
- iii. सहयोगी (आईएनडी-एएस 28/ एएस 23 के अनुसार);
- iv. सामान्य ब्रांड नाम;
- v. इक्विटी शेयरों में निवेश या 20 प्रतिशत और उससे अधिक का पूंजी योगदान;
- vi. किसी नेटवर्क का हिस्सा होना; या
- vii. कोई अन्य व्यवस्था जिसे प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी जा सकती है।

**स्पष्टीकरण.-** उप-खंड (vi) के प्रयोजन से, "नेटवर्क" शब्द का तात्पर्य फर्मों की बड़ी संरचना से है जो आपसी लाभ के लिए संसाधनों को मिलाकर, अपनी मिली-जुली शक्ति दिखाकर, और एक जैसी नीति, प्रौद्योगिकी और संपार्श्विक रखकर एक साथ आई हैं, और स्वयं को एकल एकीकृत इकाई के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिसमें अग्रणी कंपनी सदस्य कंपनियों की ओर से कार्य करती है।

(च) "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का वही अभिप्राय होगा जो अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (छ) के अधीन इसे दिया गया है;

- (छ) "निरीक्षण प्राधिकरण" का तात्पर्य प्राधिकरण द्वारा जीआईसी इकाई का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त एक या अधिक व्यक्ति से है;
  - (ज) "अनिवासी" का तात्पर्य विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन 'भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति' से है और इसमें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में वित्तीय संस्थान भी शामिल होंगे;
  - (झ) "निवासी" का अर्थ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन परिभाषित 'भारत में रहने वाले व्यक्ति' से है;
  - (ञ) "सिंगल विंडो आईटी सिस्टम (एसडब्ल्यूआईटी)" ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को संदर्भित करता है जिसे, अन्य बातों के साथ-साथ, इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के प्रसंस्करण को सुविधाजनक बनाने के लिए अभिकल्पित किया गया है;
  - (ट) "निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा" का तात्पर्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) विनियम, 2020 की पहली अनुसूची में समय-समय पर यथा-संशोधित निर्दिष्ट मुद्रा से है।
- (2) इन विनियमों में प्रयोग किए गए और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और भावों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम या अधिनियम की पहली अनुसूची में बताए गए अधिनियम, या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18), या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6), या उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम या विनियम, जैसा भी मामला हो, में उन्हें दिया गया है।

## अध्याय-II

### वैश्विक आंतरिक केंद्र इकाई का रजिस्ट्रीकरण

#### 4. योग्यता मानदंड

- (1) एक ऐसी इकाई जो विशेष रूप से 'वित्तीय संस्थान समूह' की परिभाषा के अधीन आती है, वह इन विनियम के अधीन आवेदन कर सकती है:

बशर्ते कि, ऐसे मॉडल में जहां तीसरे पक्ष को अनुमति है, तीसरा पक्ष वित्तीय संस्थान समूह की पूर्व अनुमति के अधीन आवेदन जमा कर सकता है, और आवेदक प्राधिकरण को ऐसी पूर्व अनुमति का साक्ष्य देने वाला अनुमति पत्र देगा।

**स्पष्टीकरण** - आवेदक 'वित्तीय संस्थान समूह' की परिभाषा के अधीन आता है या नहीं, यह निर्णय प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा और इस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

- (2) यदि 'जीआईसी इकाई' को शाखा के रूप में स्थापित करने की मंशा है, तो आवेदक (अर्थात्, मूल इकाई) ऐसे क्षेत्राधिकार से होना चाहिए जिसे वित्तीय कार्रवाई कृत्तिक बल (एफएटीएफ) के सार्वजनिक वक्तव्य में "कार्रवाई के अध्यधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार" के रूप में चिह्नित नहीं गया हो।

## 5. आवेदक का विधिक रूप

- (1) आवेदक एक ऐसी इकाई होनी चाहिए जो आईएफएससी में प्राधिकरण द्वारा अनुमति प्राप्त कंपनी या सीमित देयता भागीदारी के रूप में शामिल हो, या आईएफएससी के बाहर शामिल किसी कंपनी या सीमित देयता भागीदारी की शाखा हो, या किसी अन्य रूप में हो।
- (2) आवेदक इकाई के सभी प्रवर्तक या भागीदार ऐसे क्षेत्राधिकार से होने चाहिए जिसे वित्तीय कार्रवाई कृत्तिक बल (एफएटीएफ) के सार्वजनिक वक्तव्य में "कार्रवाई के अध्यधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार" के रूप में चिह्नित नहीं गया हो।

## 6. आवेदन करने की प्रक्रिया

- (1) इन विनियमों के अधीन जीआईसी के कार्यकलाप करने की इच्छुक कोई भी इकाई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अपना संचालन तब तक शुरू नहीं करेगी, जब तक उसे प्राधिकरण द्वारा जीआईसी इकाई के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र नहीं मिल जाता।
- (2) जीआईसी इकाई के तौर पर रजिस्ट्रीकरण प्रणामपत्र पाने का इच्छुक आवेदक, प्राधिकरण द्वारा बताए गए तरीके से, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन शुल्क के साथ एसडबल्युआईटी के माध्यम से प्राधिकरण को आवेदन जमा करेगा।
- (3) आवेदन पर विचार करने के बाद, अगर प्राधिकरण को लगता है कि कुछ कमियों के कारण रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता है, तो वह आवेदक को इसकी जानकारी देगी, और उसे सूचना की तारीख से तीस (30) दिनों के अंदर उन कमियों को ठीक करने की सलाह देगी, ऐसा न करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

बशर्ते कि आवेदक को लिखित प्रस्तुतीकरण के माध्यम से सुनवाई का उचित मौका दिए बिना कोई भी आवेदन निरस्त नहीं किया जाएगा।

## 7. रजिस्ट्रीकरण प्रदान करना

- (1) आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण आवेदक को ऐसी शर्तों, जो उसे उचित लगें, के अधीन सैद्धांतिक अनुमोदन दे सकता है।
- (2) सैद्धांतिक अनुमोदन मिलने पर, आवेदक, प्राधिकरण द्वारा अवधि बढ़ाए जाने तक, एक सौ अस्सी (180) दिनों की अवधि के भीतर, इन विनियमों और सैद्धांतिक अनुमोदन की शर्तों का पालन करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।
- (3) एक सौ अस्सी (180) दिनों से आगे विस्तार के लिए आवेदन, प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट प्ररूप और तरीके से फाईल किया जाएगा।
- (4) यह संतुष्ट होने पर कि आवेदक ने सैद्धांतिक अनुमोदन की शर्तों को पूरा कर दिया है, प्राधिकरण ऐसी शर्तों, जो उसे उचित लगें, के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है।
- (5) इन विनियमों के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र तब तक वैध रहेगा जब तक कि प्राधिकरण द्वारा इसे निलंबित या रद्द नहीं किया जाता है या जीआईसी इकाई द्वारा इन विनियमों के अनुसार स्वेच्छा से अभ्यर्पण नहीं किया जाता है:  
बशर्ते कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का स्वैच्छिक अभ्यर्पण केवल प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद ही प्रभावी होगा।
- (6) जीआईसी इकाई तुरंत प्राधिकरण को कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में बताएगी जिसका उसके दिए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र पर असर पड़ता है, जिसमें पहले दी गई जानकारी या विवरण में कोई परिवर्तन भी शामिल है।

## अध्याय-III

### वैश्विक आंतरिक केंद्र इकाई के कार्य

## 8. अनुमत सेवाएं

- (1) जीआईसी इकाई वित्तीय उत्पाद(उत्पादों) और वित्तीय सेवा(सेवाओं) से संबंधित सेवाएं प्रदान करेगी।
- (2) जीआईसी इकाई वित्तीय संस्थान समूह की उन एंटिटियों को सेवाएं प्रदान करेगी जो 'अनिवासी' हैं और उन अधिकार क्षेत्रों में स्थित हैं जिन्हें वित्तीय कृतिक बल (एफएटीएफ) के सार्वजनिक बयान में "कार्रवाई के लिए उच्च जोखिम वाले अधिकार क्षेत्र" के रूप में पहचाना नहीं गया है:

बशर्ते कि, एक जीआईसी इकाई अपने वित्तीय संस्थान समूह की किसी भी संस्था को भारत में आईएफएससी से जीआईसी सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से सेवाएं प्रदान कर सकती है, जो संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए जीआईसी इकाई के कुल राजस्व के 10% से अधिक नहीं होगी।

- (3) ऊपर दिए गए सब-विनियम (2) में कही गई किसी भी बात के बावजूद, भारत के बाहर स्थित कोई भी एंटीटी, जो भारत में अपने वित्तीय संस्थान समूह की किसी भी एंटीटी को जीआईसी सेवाएं दे रही है, वह प्राधिकरण पूर्व स्वीकृति से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र से वही कार्यकलाप कर सकती है।
- (4) जीआईसी इकाई को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में भारत में अपने वित्तीय संस्थान समूह की किसी भी एंटीटी से विद्यमान अनुबंध या कार्य की व्यवस्था को अंतरित करके स्थापित नहीं किया जाएगा।

#### अध्याय-IV

#### प्रधान अधिकारी और अनुपालन अधिकारी से संबंधित योग्य और उपयुक्त अपेक्षाएँ

#### 9. योग्य और उपयुक्त होने की अपेक्षाएँ

- (1) जीआईसी इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि एंटीटी और उसका प्रधान अधिकारी, अनुपालन अधिकारी, निदेशक/साझेदार/नामित साझेदार, और नियंत्रक शेयरधारक हर समय 'योग्य और उपयुक्त' व्यक्ति हों।
- (2) उप-नियम (1) के उद्देश्य से, किसी व्यक्ति को 'योग्य और उपयुक्त' माना जाएगा, यदि,-
  - (i). ऐसे व्यक्ति का निष्पक्षता और ईमानदारी का रिकॉर्ड है, जिसमें निम्नांकित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं-
    - (क) वित्तीय सत्यनिष्ठा;
    - (ख) अच्छी प्रतिष्ठा और चरित्र; और
    - (ग) ईमानदारी।
  - (ii). ऐसे व्यक्ति पर निम्नलिखित में से कोई भी अयोग्यता लागू नहीं हुई है:
    - (क) पिछले पांच (5) वर्षों में किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए विधि न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है जिसमें नैतिक पतन या कोई आर्थिक अपराध या अधिनियम की पहली अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम या अधिनियमों के अधीन कोई अपराध शामिल है;

- (ख) किसी भारतीय या विदेशी प्रवर्तन अभिकरण द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों में आरोपपत्र फ़ाइल किया गया है और वह लंबित है;
- (ग) आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों में विधि न्यायालय या समकक्ष संस्था द्वारा आरोप तय किए गए हैं;
- (घ) किसी वैधानिक निकाय या वित्तीय नियामक प्राधिकरण द्वारा व्यक्ति के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही शुरू की गई है और लंबित है;
- (ङ) व्यक्ति के विरुद्ध कदाचार के लिए कोई आदेश पारित किया गया है;
- (च) व्यक्ति को दिवाला घोषित किया गया है;
- (छ) किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा वित्तीय सेवाओं के बाजार से संबंधित किसी भी मामले में व्यक्ति को वित्तीय उत्पाद (उत्पादों) या वित्तीय सेवा (सेवाओं) तक पहुंचने, प्रदान करने या उनसे निपटने से रोकने, प्रतिबंधित करने या वंचित करने का आदेश पारित किया गया है और ऐसा आदेश लागू है;
- (ज) कोई अन्य आदेश, जिसका वित्तीय सेवाओं के बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, प्राधिकरण या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा व्यक्ति के विरुद्ध पारित किया गया है, और आदेश की तारीख से तीन (3) वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई है।

**स्पष्टीकरण.** - इस उप-खंड के उद्देश्य के लिए, महत्व निर्धारित करने का निर्णय प्राधिकरण के पास होगा;

- (झ) व्यक्ति को सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मष्तिष्क का व्यक्ति पाया गया है, और यह निर्णय प्रभावी है;
- (ञ) व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है या उसे जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है;
- (ट) व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है; या
- (ठ) प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट कोई अन्य अयोग्यता।

- (3) जहां किसी व्यक्ति को किसी नियामक प्राधिकरण के आदेश द्वारा 'योग्य और उचित' नहीं घोषित किया गया है, ऐसा व्यक्ति किसी भी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के योग्य नहीं होगा, जब तक कि ऐसा व्यक्ति 'योग्य और उचित' आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।



**10. प्रधान अधिकारी और अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति या पदनाम**

- (1) जीआईसी इकाई एक प्रधान अधिकारी नियुक्त करेगी या अपने विद्यमान अधिकारियों में से किसी एक को प्रधान अधिकारी के रूप में नामित करेगी, जो इसके समग्र कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) जीआईसी इकाई अनुपालन अधिकारी नियुक्त करेगी या अपने विद्यमान अधिकारियों में से किसी एक को अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित करेगी, जो नीतियों, प्रक्रियाओं, रिकॉर्ड के रखरखाव और अन्य लागू कानूनों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा, और निदेशक मंडल या संगठन के प्रमुख, जैसा भी मामला हो, को रिपोर्ट करेगा।
- (3) प्रधान अधिकारी और अनुपालन अधिकारी जीआईसी इकाई के पूर्णकालिक कर्मचारी होंगे और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित होंगे।

**अध्याय-V****विविध****11. व्यवसाय करने के लिए मुद्रा और तरीका**

- (1) जीआईसी इकाई अपना संचालन किसी भी निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा में करेगी:

बशर्ते कि, जीआईसी इकाई अपने प्रशासनिक और वैधानिक खर्चों को पूरा करने और ऐसे अन्य उद्देश्यों जिनकी अनुमति लागू कानूनों के अधीन दी जा सकती है, के लिए आईएनआर खाता खोल सकती है।

- (2) प्रत्येक जीआईसी इकाई अपना तुलनपत्र किसी भी निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा में बनाए रखेगी।

**12. रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ**

- (1) जीआईसी इकाई अपने संचालन से संबंधित जानकारी प्राधिकरण को प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट तरीके, अंतराल और प्रारूप में प्रदान करेगी।
- (2) जीआईसी इकाई द्वारा प्राधिकरण को कोई भी वित्तीय रिपोर्टिंग यूएस डॉलर में होगी, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए।

**13. विनियमों के कठोर प्रवर्तन में ढील देने की शक्ति**

- (1) प्राधिकरण, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में वित्तीय सेवा बाजार के विकास के हित में, इन विनियमों की किसी भी आवश्यकता के कठोर प्रवर्तन में ढील दे सकता है।

- (2) उप-विनियम (1) के अधीन ढील की मांग करने के लिए, ऐसा आवेदन, जिसमें विवरण और वे आधार, जिन पर ऐसी ढील मांगी गई है, का विवरण देते हुए प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट गैर-वापसी योग्य शुल्क के साथ प्राधिकरण के पास फ़ाइल किया जाएगा।
- (3) उप-विनियम (2) के अधीन किया गया आवेदन, सभी मामलों में पूर्ण होने पर, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर, या प्राधिकरण द्वारा मांगी गई स्पष्टीकरणों, यदि कोई हो, के जवाब प्राप्त होने की तारीख से संसाधित किया जाएगा।
- (4) प्राधिकरण उप-विनियम (2) के अधीन प्राप्त आवेदन का निपटारा आवेदक द्वारा मांगी गई ढील को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके करेगा।

#### 14. कठिनाइयों को दूर करने और स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति

इन विनियमों के उपबंधों की व्याख्या या आवेदन में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, प्राधिकरण निदेश, स्पष्टीकरण, मार्गदर्शी नोट या परिपत्र जारी कर सकता है।

#### 15. प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करने की शक्ति

इन विनियमों के कार्यान्वयन और उससे संबंधित मामलों के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकरण दिशानिदेशों, परिपत्रों या निदेशों के माध्यम से मानदंड, प्रक्रियाएं, तरीके और ऐसी अतिरिक्त अपेक्षाएं, जिन्हें वह आवश्यक समझे, निर्दिष्ट कर सकता है।

#### 16. शुल्क का भुगतान

जीआईसी इकाई वार्षिक शुल्क और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा-निर्धारित कोई भी अन्य शुल्क का भुगतान करेगी।

#### 17. जानकारी मांगने की शक्ति

प्राधिकरण जीआईसी इकाई से कोई भी जानकारी, दस्तावेज़ या रिकॉर्ड मांग सकती है और जीआईसी इकाई का यह कर्तव्य होगा कि वह निर्धारित समय के भीतर उन्हें जमा करे।

#### 18. निरीक्षण की शक्ति

प्राधिकरण स्वतः संज्ञान लेकर या किसी जानकारी या शिकायत मिलने पर, एक या एक से अधिक व्यक्तियों को निरीक्षण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है, ताकि जीआईसी इकाई की खातों बहियों, रिकॉर्ड, दस्तावेज़ों, अवसंरचना, प्रक्रियाओं और प्रणाली का निरीक्षण किया जा सके।

#### 19. व्यतिक्रम होने पर कार्रवाई

- (1) यदि कोई जीआईसी इकाई इन विनियमों और इनके अधीन जारी किए गए परिपत्र, दिशानिदेशों या निदेशों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करती है, तो प्राधिकरण, कोई भी कार्रवाई, जो यह उचित समझे, शुरू कर सकता है।
- (2) उप-विनियम (1) के अधीन बताई गई कोई भी कार्रवाई जीआईसी इकाई को लिखित प्रस्तुतियों के माध्यम से सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना नहीं की जाएगी।

## 20. विद्यमान जीआईसी इकाइयों के लिए अपेक्षाएं

जब तक इन विनियमों के अधीन अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, विद्यमान जीआईसी इकाइयां, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वैश्विक आंतरिक केंद्र) विनियम, 2020 के अधीन रजिस्ट्रीकरण दिया गया था, इन विनियमों के शुरू होने की तारीख से नब्बे (90) दिनों की अवधि के भीतर, इन विनियमों के अधीन निर्दिष्ट आवश्यकताओं का पालन करेंगी।

## 21. निरसन और व्यावृत्तियाँ

- (1) इन विनियमों के शुरू होने पर, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वैश्विक आंतरिक केंद्र) विनियम, 2020, निरस्त हो जाएंगे।
- (2) इन विनियमों के शुरू होने पर, प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया 18 नवंबर 2020 का परिपत्र, जिसका शीर्षक "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में वैश्विक आंतरिक केंद्र (जीआईसी)" है, अधिक्रमित हो जाएगा।
- (3) ऐसे निरसन के बावजूद,-
  - (क) निरस्त विनियमों के अधीन, ऐसे निरसन से पहले किया गया कोई भी कार्य या कार्रवाई, जिसमें रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन देना, निलंबित करना या रद्द करना, शुल्क जमा करना, कोई भी न्यायनिर्णयन, जांच या छानबीन शुरू करना, या कारण बताओ नोटिस जारी करना शामिल है, उसे इन विनियमों के संबंधित उपबंधों के अधीन किया गया या आरंभ किया गया माना जाएगा;
  - (ख) निरस्त किए गए विनियमों का विगत संचालन या उसके अधीन किया गया या झेला गया कोई भी कार्य, निरस्त किए गए विनियमों के अधीन प्राप्त, अर्जित या उत्पन्न कोई भी अधिकार, विशेषाधिकार, प्राप्त हुए दायित्व या देयता, निरस्त किए गए विनियमों के उल्लंघन के संबंध में लगाई गई कोई भी शास्ति, या उपर्युक्त किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, शास्ति के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय अप्रभावित रहेंगे, मानो निरस्त किए गए विनियम कभी निरस्त ही नहीं हुए हों।
4. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वैश्विक आंतरिक केंद्र) विनियम, 2020 के निरस्त होने के बाद, द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य विनियम, दिशानिदेश या परिपत्र में इसका कोई भी उल्लेख इन विनियमों के संबंधित उपबंधों का उल्लेख माना जाएगा।

के. राजारामन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./574/2025-26]

**INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY****NOTIFICATION**

Gandhinagar, the 24th December, 2025

**International Financial Services Centres Authority (Global In-House Centres) Regulations, 2025.**

**F. No. IFSCA/GN/2025/012.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28, read with sub-section (1) of Section 12 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 [50 of 2019], the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, namely:-

**CHAPTER-I PRELIMINARY****1. Short Title and Commencement**

- (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Global In-House Centres) Regulations, 2025.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Objectives**

These regulations are aimed at providing a regulatory framework-

- (1) To operationalize the Global In-House Centres (GICs) as a financial service for developing International Financial Services Centres (IFSCs) as global hub for delivery of high-value financial and related services, generating employment opportunities, and strengthening India's integration within the global value chain of financial services;
- (2) To bring back the India centric financial services and transactions that are currently carried out in offshore financial centres to International Financial Service Centre by offering world class business and regulatory environment.

**3. Definitions**

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings assigned to them below, and their cognate expressions and variations shall be construed accordingly: -
  - (a) **“Act”** means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);
  - (b) **“Authority”** means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of section 4 of the Act;
  - (c) **“Global-In-House Centre (GIC)”** means a service provided by a GIC Unit for delivering services relating to financial products and financial services to a Financial Institution Group;
  - (d) **“Global-In-House Centre Unit (GIC Unit)”** means a unit set up in International Financial Services Centre by an entity of a Financial Institution Group, either directly or through a third party service provider, and registered under these regulations for undertaking the activities of Global In-House Centres under any of the operating models, viz Captive Centre, Build-Operate-Transfer, Joint Venture, Hybrid or any other model as may be permitted by the Authority;
  - (e) **“Financial Institution Group”** means entity(ies) of a group engaged in providing financial services or carrying out financial activities, including but not limited to banks, non-banking financial companies, financial intermediaries, investment banks, insurance companies, re-insurance companies, actuaries, brokerage firms, funds, stock exchanges, clearing corporations, depositories, custodians, and any other similar financial institutions:

For the purpose of this regulation, the group entities of a Financial Institution Group shall include arrangements involving two or more entities related to each other through any of the following relationships:

- (i). parent–subsidiary (as per Ind-AS 110/AS 21);
- (ii). joint venture (as per Ind-AS 28/AS 27);
- (iii). associate (as per Ind-AS 28/AS 23);
- (iv). common brand name;
- (v). investment in equity shares or capital contribution of 20 per cent and above;
- (vi). being part of a network; or

(vii). any other arrangement as may be permitted by the Authority.

**Explanation.** - For the purpose of sub-clause (vi), the term “network” means a larger structure of a group of firms that have come together for mutual benefits by pooling resources, showcasing their combined strength, and having uniform policies, technology, and collateral, and presenting themselves as a single integrated unit, with one lead firm acting on behalf of the member firms.

- (f) **“International Financial Services Centre”** shall have the same meaning as assigned to it under clause (g) of sub-section (1) of Section 3 of the Act;
  - (g) **“Inspecting Authority”** means one or more persons appointed by the Authority to undertake inspection of a GIC Unit;
  - (h) **“Non-resident”** means a ‘person resident outside India’ under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and shall also include financial institutions in an International Financial Service Centre;
  - (i) **“Resident”** means a ‘person resident in India’ as defined under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);
  - (j) **“Single Window IT Systems (SWIT)”** refers to an online platform designed, inter-alia, to facilitate the processing of applications submitted by the applicants for obtaining Certificate of Registration under these regulations;
  - (k) **“Specified Foreign Currency”** means the currencies specified in the First Schedule of the International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020, as amended from time to time.
- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or Acts mentioned in the First Schedule to the Act, or the Companies Act, 2013 (18 of 2013), or the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules, regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

## CHAPTER-II

### REGISTRATION OF A GLOBAL IN-HOUSE CENTRE UNIT

#### 4. Eligibility Criteria

- (1) An entity exclusively falling under the definition of ‘Financial Institution Group’ may make an application under these regulations:

Provided that, in models where third-party is permitted, an application may be submitted by the third party, subject to the prior authorization of the Financial Institution Group, and the applicant shall furnish to the Authority an authorization letter evidencing such prior authorization.

Explanation.- The decision whether the applicant falls within the definition of ‘Financial Institution Group’ shall be determined by the Authority and whose decision on the same shall be final.

- (2) In case where the ‘GIC Unit’ is intended to be set up in the form of branch, the applicant (i.e., parent entity) shall be from a jurisdiction which has not been identified in the public statement of Financial Action Task Force (FATF) as “High-Risk Jurisdiction subject to call for action”.

#### 5. Legal Form of the Applicant

- (1) The applicant shall be an entity incorporated as a company or a limited liability partnership in the IFSC, or a branch of a company or of a limited liability partnership incorporated outside the IFSC, or in any other form as may be permitted by the Authority.
- (2) All the promoters or partners of the applicant entity shall be from a jurisdiction which has not been identified in the public statement of Financial Action Task Force (FATF) as “High-Risk Jurisdictions subject to call for action”.

#### 6. Procedure for Making Application

- (1) Any entity desirous of undertaking the activities of GIC under these regulations shall not commence its operations in International Financial Service Centre, unless it has been granted a certificate of registration by the Authority as a GIC Unit.
- (2) An applicant desirous of obtaining certificate of registration as a GIC Unit shall submit the application to the

Authority through SWIT, along with the requisite documents and application fees in the manner specified by the Authority.

- (3) After considering the application, if the Authority is of the opinion that the certificate of registration cannot be granted due to certain deficiencies, it shall communicate the same to the applicant, advising it to rectify those deficiencies within thirty (30) days from the date of communication, failing which the application shall be liable to be rejected:

Provided that no application shall be rejected without giving the applicant a reasonable opportunity of being heard by way of written submissions.

## **7. Grant of Registration**

- (1) On consideration of the application, the Authority may grant in-principle approval to the applicant, subject to such conditions as deemed fit.
- (2) On receipt of in-principle approval, the applicant shall, within a period of one hundred eighty (180) days, unless extended by the Authority, take necessary steps to comply with these regulations and conditions of the in-principle approval.
- (3) An application seeking extension beyond one hundred eighty (180) days shall be filed in such form and manner as may be specified by the Authority.
- (4) On being satisfied that the applicant has fulfilled the conditions of the in-principle approval, the Authority may grant a certificate of registration, subject to such conditions as it deemed fit.
- (5) The certificate of registration granted under these regulations shall remain valid unless suspended or cancelled by the Authority or voluntarily surrendered by the GIC Unit in accordance with these regulations:

Provided that the voluntary surrender of certificate of registration shall be effective only after its acceptance by the Authority.

- (6) The GIC Unit shall immediately furnish to the Authority any material changes that have a bearing on the certificate of registration granted to it, including any changes in the information or particulars previously furnished.

## **CHAPTER-III**

### **FUNCTIONING OF A GLOBAL IN-HOUSE CENTRE UNIT**

## **8. Permissible Services**

- (1) The GIC Unit shall provide services in relation to financial product(s) and financial service(s).
- (2) The GIC Unit shall provide services to the entities of the Financial Institution Group which are 'non-resident' and are located in the jurisdictions which have not been identified in the public statement of Financial Action Task Force (FATF) as "High-Risk Jurisdiction subject to call for action":

Provided that, a GIC Unit may provide services to any entity (ies) of its Financial Institution Group in India for the purpose of delivery of GIC service from IFSC, not exceeding 10% of total revenue of the GIC Unit for the relevant financial year.

- (3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (2) above, an entity located outside India providing GIC services to any entity (ies) of its Financial Institution Group in India may undertake the same activities from the International Financial Service Centre, subject to the prior approval of the Authority.
- (4) The GIC Unit shall not be set up in International Financial Service Centre by way of transferring of existing contracts or work arrangements from any entity (ies) of its Financial Institution Group in India.

**CHAPTER-IV****FIT AND PROPER, AND REQUIREMENTS RELATED TO PRINCIPAL OFFICER AND COMPLIANCE OFFICER****9. Fit and Proper Requirements**

- (1) The GIC Unit shall ensure that the entity and its principal officer, compliance officer, directors/ partners/ designated partners, and controlling shareholders are 'fit and proper' persons, at all times.
- (2) For the purpose of sub-regulation (1), a person shall be deemed to be a 'fit and proper' if,-
  - (i). such a person has a record of fairness and integrity, including but not limited to-
    - (a) financial integrity;
    - (b) good reputation and character; and
    - (c) honesty.
  - (ii). such a person has not incurred any of the following disqualifications:
    - (a) the person has been convicted by a court of law for any offence involving moral turpitude or any economic offence or any offence, under the Act or Acts mentioned in the First Schedule of the Act, in last five (5) years;
    - (b) charge sheet has been filed against such person by any Indian or foreign enforcement agency in matters concerning economic offences and is pending;
    - (c) charges have been framed by a court of law or an equivalent institution in matters concerning economic offences;
    - (d) a recovery proceeding has been initiated against the person by a statutory body or financial regulatory authority and is pending;
    - (e) an order has been passed against the person for malfeasance;
    - (f) the person has been declared an undischarged insolvent;
    - (g) An order, restraining, prohibiting or debarring the person from accessing, providing or dealing in financial product (s) or financial service (s), has been passed by any regulatory authority, in any matter concerning financial services market and such order is in force;
    - (h) any other order, which has a material bearing on the financial services market, has been passed against the person by the Authority or any other regulatory authority, and a period of three (3) years from the date of the order has not elapsed.

**Explanation.** - For the purpose of this sub-clause, the decision to determine materiality shall be with the Authority;

- (i) the person has been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction, and the finding is in force;
  - (j) the person is financially not sound or has been categorized as a wilful defaulter;
  - (k) the person has been declared a fugitive economic offender; or
  - (l) any other disqualification as may be specified by the Authority.
- (3) Where any person has been declared as not 'fit and proper' by an order of a regulatory authority, such a person shall not be eligible to apply for any registration, until such person satisfies the 'fit and proper' requirements.

**10. Appointment or Designation of Principal Officer and Compliance Officer**

- (1) The GIC Unit shall appoint a principal officer or designate one of its existing officers as a principal officer, who shall be responsible for its overall activities.
- (2) The GIC Unit shall appoint a compliance officer or designate one of its existing officers as a compliance officer, who shall be responsible for the compliance of policies, procedures, maintenance of records and other applicable laws, and shall report to the Board of Directors or head of the organization, as the case may be.

- (3) The principal officer and compliance officer shall be full-time employees of GIC Unit and shall be based out of the International Financial Service Centre .

## **CHAPTER- V**

### **MISCELLANEOUS**

#### **11. Currency and Mode for Conducting Business**

- (1) The GIC Unit shall carry out its operation in any of the Specified Foreign Currency:

Provided that, the GIC Unit may open an INR account to defray its administrative and statutory expenses and for such other purposes as may be permitted under the applicable laws.

- (2) Every GIC Unit shall maintain its balance sheet in any of the Specified Foreign Currencies.

#### **12. Reporting Requirements**

- (1) The GIC Unit shall furnish information relating to its operations to the Authority, in such manner, interval and form, as may be specified by the Authority.
- (2) Any financial reporting by the GIC Unit to the Authority shall be in US Dollar, unless otherwise specified by the Authority.

#### **13. Power to Relax Strict Enforcement of the Regulations**

- (1) The Authority, for reasons to be recorded in writing, may in the interest of the development of the financial services market in the International Financial Service Centre , relax the strict enforcement of any requirements of these regulations.
- (2) For seeking relaxation under sub-regulation (1), an application giving details and the grounds on which such relaxation has been sought, shall be filed with the Authority along with a non-refundable fee as may be specified by the Authority.
- (3) The application made under sub-regulation (2), complete in all respects, shall be processed within thirty (30) days from the date of receipt of the application, or receipt of the responses to clarifications sought by the Authority, if any.
- (4) The Authority shall dispose of the application received under sub-regulation (2), by recording the reasons in writing for acceptance or refusal of relaxations sought by the applicant.

#### **14. Power to Remove Difficulties and Issue Clarifications**

In order to remove any difficulty in the interpretation or application of the provisions of these regulations, the Authority may issue directions, clarifications, guidance notes or circulars.

#### **15. Power to Specify Procedures**

For the purposes of implementation of these regulations and matters incidental thereto, the Authority may specify norms, procedures, processes, manners and such additional requirements as it may deem necessary, by way of guidelines, circulars or directions.

#### **16. Payment of Fees**

The GIC Unit shall pay the annual fees and any other fees, as may be specified by the Authority from time to time.

#### **17. Power to Call for Information**

The Authority may call for any information, documents or records from the GIC Unit and it shall be the duty of the GIC Unit to submit the same within the specified time.



**18. Power to Inspect**

The Authority may suo motu or upon receipt of any information or complaint, appoint one or more persons as Inspecting Authority inter-alia, to undertake the inspection of books of accounts, records, documents, infrastructure, procedures and systems of a GIC Unit.

**19. Action in Case of Default**

- (1) The Authority may initiate any action, as it may deem fit, in case a GIC Unit contravenes any of the provisions of these regulations and circulars, guidelines or directions issued thereunder.
- (2) No action as referred under sub-regulation (1) shall be taken without giving the GIC Unit, a reasonable opportunity of being heard by way of written submissions.

**20. Requirements for Existing Gic Units**

Unless otherwise provided under these regulations, the existing GIC Units, which were granted registration under International Financial Services Centres Authority (Global-In-Centre) Regulations, 2020, shall within a period of ninety (90) days from the date of commencement of these regulations, comply with the requirements specified under these regulations.

**21. Repeal and Savings**

- (1) On and from the commencement of these regulations, the International Financial Services Centres Authority (Global In-House Centres) Regulations, 2020, shall stand repealed.
- (2) On and from the commencement of these regulations, the Circular dated 18<sup>th</sup> November 2020, titled as “Global In-House Centres (GIC) in the International Financial Services Centre (IFSC)” issued by the Authority shall stand superseded.
- (3) Notwithstanding such repeal,-
  - (a) anything done or any action taken or purported to have been done or taken including registration or approval granted, suspended or cancelled, fees collected, any adjudication, enquiry or investigation commenced, or show-cause notice issued under the repealed regulations, prior to such repeal, shall be deemed to have been done or taken or commenced under the corresponding provisions of these regulations;
  - (b) the previous operation of the repealed regulations or anything done or suffered thereunder, any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the repealed regulations, any penalty incurred in respect of any violation committed against the repealed regulations, or any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty as aforesaid, shall remain unaffected as if the repealed regulations had never been repealed.
- (4) After the repeal of International Financial Services Centres Authority (Global In-House Centres) Regulations, 2020, any reference thereto in any other regulations, guidelines or circulars issued by the Authority shall be deemed to have the reference to the corresponding provisions of these regulations.

K. RAJARAMAN, Chairperson

[ADVT.-III/4/Ext./574/2025-26]